(39)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2017/3362 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–8–17 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 297/अपील/2016–17.

श्रीमती नाज सिद्दीकी पत्नी मोहम्मद अजहर खान
पुत्री स्व. हबीबउल्ला खान
कृषक ग्राम इस्लाम नगर
निवासी 10–ए, बी.डी.ए. कॉलौनी
कोहेफिजा, भोपाल .....आवेदिका

विरूद्ध

श्रीमती राना असलम पत्नी असलम सलीम
पुत्री स्व. हबीबउल्ला खान
कृषक ग्राम इस्लाम नगर
निवासी 18–बी, करबला
व्ही.आई.पी. रोड, भोपाल .....अनावेदिका

श्री अनिल चडोकर, अभिभाषक, आवेदिका
श्री राजेश गिरी, अभिभाषक, अनावेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/12/17 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–8–17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के प्रकरण कमांक 115/अपील/16–17 में पारित आदेश दिनांक 17–7–2017 के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की जाकर स्थगन हेतु संहिता की धारा 52 के अन्तर्गत आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण कमांक 297/अपील/2016–17 दर्ज कर दिनांक 21–8–17 को आदेश पारित कर अपील ग्राह्य किया जाकर स्थगन आवेदन पत्र निरस्त

किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अपर आयुक्त द्वारा स्थगन नहीं दिये जाने से आवेदिका को अपूर्णीय क्षति हो रही है, क्योंकि उसकी भूमि में से रास्ता दिया गया है, जिसके कारण उसकी फसल नष्ट हो रही है ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पालन में राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा आवेदिका की भूमि में से रास्ते की भूमि में सम्मिलित कर कार्यवाही की जाती है तो उसकी फसल नष्ट होने की पूर्ण संभावना है, इस तथ्य को अनदेखा कर आदेश पारित करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है ।

(3) अधीनस्थ न्यायालय में आई साक्ष्य से स्पष्ट है कि सर्वे क्रमांक 202, 208 व 207 से लगकर कृषि भूमियों की मेड़ स्थित है, जिस पर पूर्व से कोई रूढ़िगत रास्ता नहीं है, इसके बावजूद अनुविभागीय अधिकारी द्वारा रास्ता देने में अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है, इस स्थिति पर बिना विचार किये अपर आयुक्त द्वारा स्थगन नहीं देने में त्रुटि की गई है ।

(4) तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 7–2–2017 के पालन में अनावेदिका को उसकी आवश्यकता अनुसार उपयुक्त रास्ता उपलब्ध कराया जा चुका है और अनावेदिका उक्त रास्ते का उपयोग भी करती चली आ रही है, किन्तु अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 21–8–2017 को आदेश पारित कर आवेदिका का अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र बिना किसी वैधानिक आधार के निरस्त किया गया है और प्रकरण में तहसीलदार से 15 दिवस में इस बावत् प्रतिवेदन लिये जाने का उल्लेख किया गया है कि वादित भूमि में रास्ता विवाद की वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान में स्थित रास्ते का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है । ऐसी स्थिति में जब तक तहसीलदार का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक आवेदिका का आवेदन पत्र स्वीकार कर यथास्थिति के आदेश पारित किया जाना न्यायहित में आवश्क था, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा स्थगन आवेदन पत्र के सम्बन्ध में कोई विस्तृत या स्पष्ट आदेश पारित नहीं कर आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का उल्लेख किया गया है, जो न्यायोचित रूप से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका द्वारा अनावेदिका के रास्ते को रोका गया है । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा स्थगन नहीं देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, क्योंकि यदि अपर आयुक्त द्वारा स्थगन दिया जाता है तो आवेदिका, अनावेदिका के आने–जाने के रास्ते को अवरूद्ध कर दिया जायेगा, जिससे अनावेदिका को अपूर्णीय क्षति होगी ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह निगरानी मात्र स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किये जाने के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अतः प्रकरण अपर आयुक्त को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे तीन माह में प्रकरण का अन्तिम निराकरण करें । तब तक तीन माह के लिए प्रकरण में यथास्थिति रहेगी । उपरोक्त निर्देश के साथ प्रकरण समाप्त किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर